रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 21 अक्तूबर, 1989/29 आश्विन, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 1989

संख्या गृह (ए)-एफ(13)-3/77.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार को मोहाल श्रैह, मौजा धर्मशाला, तहसील व जिला कांगड़ा में प्रतिरक्षा विभाग के लिए प्रतिरक्षा के प्रयोग हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्न विवरणी में वर्णित भूमि उक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला : कांगड़ा तहसील: कांगड़ा

ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टेयरों में)
1	2	3
मौजा धर्मशाला मोहाल ब्राह्	1303/2	0 13 58
	1304	0 01 68
	1319	0 01 20
	1324	0 00 12
	1325	0 00 82
	1326	0 02 42
	1327	0 00 33
	1329	0 13 17
	योग ..	0 93 32
	24 कनाल 6 मरला या 2.30 एकड़	
	1301	0 00 64
	1302	0 00 48
	1303	0 00 98
	1305	0 02 78
	1306	0 00 60
	1307	0 00 30
	1308	0 00 68
	1309	0 00 04
	1310	0 00 81
	1311	0 00 88
	1312	0 00 14
	1313	0 00 18
	1314	0 00 36
	1315	0 00 14
	1316	0 01 72
	1317	0 01 38
	1318	0 01 84
	1320	0 00 25
	1321	0 02 16
	1329/1	0 03 89
	1329/2	0 05 47
	योग ..	0 27 72
	7 कनाल 5 मरला या 0.69 एकड़	
	महायोग .. 2.99 एकड़	

आदेश द्वारा,
पी0 टी0 बांगडी,
आयुक्त एवं सचिव।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 3 अक्तूबर, 1989

संख्या पी0 सी0 एच0-एच 0ए0(5) 48/86.—क्योंकि ग्राम पंचायत सैण, विकास खण्ड रिवालसर, जिला मण्डी ने अपने प्रस्ताव संख्या 3, दिनांक 8-2-89 द्वारा यह सूचित किय है कि श्री वीगु राम, पंच, ग्राम पंचायत सैण की मासिक बैठकों से दिनांक 8-11-88 से लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं ;

क्योंकि श्री वीगु राम का ऐसा कृत्य पंचायत की कार्यकुशलता में बाधक सिद्ध हो रहा है ।

अत : राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम सख्या 77 के अन्तर्गत श्री वीगु राम, पंच, ग्राम पंचायत सैण को कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाए उनका उत्तर इस नोटिस के जारी

होने से एक माह के भीतर उपायुक्त, मण्डी के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अक्तूबर, 1989

सं0 लो0नि0 (ख)-7(1)-114/89.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बदोली, तहसील व जिला ऊना में भंगल-तलवाड़ा बड़ी रेलवे लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष अधिकार देते हैं ।

अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

विनिर्देश

जिला : ऊना तहसील : ऊना

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र कनाल	मरले
1	2	3	4
बदोली/440	134/1	9	4
	1721/134/2	1	6
	136	0	16
	137	8	4
	138	4	4
	139	4	19
	140	2	10
	141	2	12
	142	12	18
	143	10	11
	144	2	1
	145	2	0
	146	5	15
	147	2	4
	148	0	6
	149	1	2
	150	1	18
	152	3	2
	1722/134/2	1	19
किस्सा ..	18	77	11

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव ।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 13 अक्तूबर, 1989

संख्या पी0सी0 एच-एच0 ए0(5).—क्योंकि श्री तिलक राज, प्रधान, ग्राम पंचायत भद्रकाली के विरुद्ध पंचायत समिति गगरेट के सदस्यों द्वारा लगाए गए आरोपों के दृष्टिगत जांच के पश्चात् निम्न तथ्य प्रकाश में आए जिसके लिए श्री तिलक राज, प्रधान, ग्रामपंचायत भद्रकाली दोषी पाए गए हैं;

कि श्री तिलक राज, प्रधान, ग्राम पंचायत भद्रकाली अधिसूचित क्षेत्र गगरेट के निवासी हैं जहां उनका परिवार भी कारोबार के सिलसिले में रहता है तथा उनका व उनके परिवार के सदस्यों का राशन कार्ड भी केवल गगरेट में ही बना हुआ है । इसके अतिरिक्त गगरेट क अधिसूचित क्षेत्र घोषित होने से पहले वे ग्राम पंचायत गगरेट के पंच व प्रधान भी रहे हैं । 1979 में गगरेट में अधिसूचित क्षेत्र समिति बनाई गई तथा श्री तिलक राज 1982 में इस अधिसूचित क्षेत्र समिति के तीन वर्ष के लिए गैर सरकारी सदस्य मनोनीत हुए । उनका व उनके परिबार के सदस्यों का नाम अधिसूचित क्षेत्र गगरेट से सम्बन्धित मतदाता सूची में दर्ज है । श्री तिलक राज का यह कहना है कि उनका मकान व भूमि भद्रकाली ग्राम पंचायत क्षेत्र में है तथा वे भद्रकाली के स्थायी निवासी है जहां उनका व उनके परिवार के सदस्यों का नाम पंचायत की मतदाता सूची तथा परिवार रजिस्टर में दर्ज है तथा उसी के आधार पर वे भद्रकाली पंचायत के प्रधान पद पर निर्वाचित हुए । उक्त जाच से स्पष्ट है कि श्री तिलक राज अधिसूचित क्षेत्र गगरेट के साधारण रूप से (ordinarily) निवासी हैं तथा भद्रकाली पंचायत के साधारण रूप से निवासी नहीं ह और इस कारण वे भद्रकाली ग्राम पंचायत के प्रधान पद पर बने रहने के पात्र नहीं हैं;

कि श्री तिलक राज ने 1100/- रुपये की राशि बाबा लालसराय के निर्माणार्थ लोगों से कच्ची रसीद काट कर ली इसमें से 300/- रुपये की राशि रोकड़ बही में दर्ज है जबकि शेष 800/- रुपये पंचायत रोकड़ में दर्ज नहीं किए । इस प्रकार वह अनियमितता के दोषी पाए गए हैं;

यह कि श्री तिलक राज, प्रधान, ग्राम पंचायत भद्रकाली ने बहैसियत पंच गगरेट पंचायत में एक ऐसा प्रस्ताव पारित करवाया जिसके आधार पर उसकी पत्नी को जमीन मिलनी थी । स्पष्ट है कि श्री तिलक राज ने अपने पद का दुरुपयोग किया;

यह कि श्री तिलक राज ने अपने प्रभाव से अपने पुत्र श्री अरबिन्द को 1985 की बाढ़ से मकान की हुई क्षति के पुन: निर्माण के लिए ऋण स्वीकृति करवाया जबकि वह उसकी पात्रता के अधिकारी नहीं थे क्योंकि श्री अरबिन्द का अपना कोई मकान नहीं तथा वह श्री तिलकराज के साथ ही रहता है;

क्योंकि श्री तिलक राज द्वारा किए गए उपरोक्त कृत्यों से स्पष्ट है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया तथा वह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 9 (5) के दृष्टिगत प्रधान पद पर बने रहने के पात्र नहीं हैं ।

अत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 जिसे ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाए श्री तिलक राज, प्रधान, ग्राम पंचायत भद्रकाली को नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्यों के लिए उन्हें उनके पद से निष्कासित किया जाए । उनका उत्तर इस नोटिस के जारी होने की दिनांक के एक माह के भीतर उपायुक्त, ऊना के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि व अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।